कार्यवाही विवरण

मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.–श्रीमती रजनी सिंह), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 714/1 एवं 715, कुल क्षेत्रफल–1.17 हेक्टेयर में से 0.64 हेक्टेयर में पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–1,250 टन (500 घनमीटर) प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 14.09.2023 को समय दोपहर–12:00 बजे, स्थान–ग्राम–कुरदी, तहसील–अर्जुंदा के शासकीय उचित मूल्य दुकान में जिला–बालोद (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो. श्रीमती रजनी सिंह), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 714/1 एवं 715, कुल क्षेत्रफल–1.17 हेक्टेयर में से 0.64 हेक्टेयर में पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–1,250 टन (500 घनमीटर) प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली दिनांक 12.08.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र नईदुनिया, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 12.08.2023 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 14.09.2023 को समय दोपहर 12.00 बजे, ग्राम–कुरदी, तहसील–अर्जुंदा के शासकीय उचित मूल्य दुकान में जिला–बालोद (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बालोद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–बालोद, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत– कुरदी, जिला– बालोद, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 14.09.2023 को दोपहर 12.25 बजे अपर कलेक्टर, जिला–बालोद की अध्यक्षता में स्थान–ग्राम–कुरदी, तहसील–अर्जुंदा के शासकीय उचित मूल्य दुकान में जिला–बालोद (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री मनीष राव कदम, पी. एण्ड एम. सोल्यूशन, पता सी–88, सेक्टर–65, नोएडा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तदोपरांत अपर कलेक्टर, जिला बालोद द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई जिला दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं, टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री संजय कुमार साहू, सरपंच पंचायत कुरदी, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**
   - खदान से पंचायत को राशि प्राप्त होती है जिससे विकास कार्य किये जाते हैं। खदान से आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है।

2. **श्री तुकाराम साहू, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**
   - खदान से लाखों रूपये का आय होता है जिसे गांव का विकास होता है। खदान से आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है।

3. **श्री कमलेश कुमार ठाकुर, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**
   - खदान से आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। पंचायत को राजस्व का लाभ मिलेगा।

4. **श्री तुकेश्वर साहू, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**
   - खदान के द्वारा ग्राम पंचायत के नियम कानूनों का पालन किया जाये। सभी खदान के द्वारा वर्षा ऋतु में किसानों को कृषि के लिये जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पर्यावरण के नियमों का भी पालन होना चाहिए।

5. **श्री खेमेन्द्र देवांगन, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**
   - खदानों से मुझे पिछले 15 वर्ष से रोजगार उपलब्ध है। खदान खुलने के लिये सहमत हूं।

6. **श्री थानेश्वर चंद्राकर, ग्राम–चौरेल, जिला–बालोद।**
   - मैं खदान में काम करने के लिये इच्छुक हूं। मुझे खदान में काम दिलाने का अनुरोध है।

7. **श्री महेश कुमार साहू, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ यहां पर दूसरी बार लोक सुनवाई हो रहा है। यह लोक सुनवाई औपचारिकता के लिये है या वास्तविकता के लिये है। यहां पहले भी विरोध किया गया था लेकिन उसका निराकरण नही किया गया। खदान अपना पानी कहां फेंकते हैं। उनका मिट्टी कहां रहता है। उसको जाकर देखा जाये। इससे हमें आपत्ति है। वे अपना सामान अपनी स्वयं की जमीन पर रखें। उद्योगपति अपना मटेरियल निजी जमीन पर रखे तब उसे लीज दिया जाये वे उद्योगपति एक डेढ़ एकड़ जमीन में वेस्ट रखता है। उसके ऊपर कोई कार्यवाही नही होती है। एक खदान खुलने से 10 एकड़ जमीन बंजर पड़ जाता है। यदि सरकार को किसान चाहिए तो किसान की देख–रेख होनी चाहिए। खदान यहां पूर्व से संचालित है। हमारे गांव में अतिक्रमण की शुरूआत खदानों के द्वारा शुरू किया गया। फिर उसे देखकर किसानों के द्वारा भी किया गया। हमें यह बताया जाये कि खदान वालों को अपना मटेरियल लीज एरिया में रखा जाना होता है या सरकारी घास जमीन पर रखा जाता है।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर, जिला– बालोद तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई, जिला–दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री मनीष राव कदम, पी. एण्ड एम. सोल्यूशन, पता सी–88, सेक्टर–65, नोएडा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ खदान में भरे जल को पम्प के माध्यम से किसानों को जल दिया जायेगा। खदान में एक बोरवेल दिया जायेगा। जो तैयार परियोजना में दिया गया है।
❖ लोक सुनवाई की विडियोग्राफी मुख्यालय में जमा किया जाता है। दावा आपत्ति की प्रति आप प्राप्त कर सकते हैं।
❖ लीज कलेक्टर एवं खनिज शाखा के द्वारा जारी किया जाता है। खदान लीज पर किया गया है।
❖ खदान उत्पन्न मटेरियल लीज एरिया में ही रखा जायेगा। खदान में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा। खदान में एकत्र पानी पम्प के माध्यम से कृषि कार्य के लिये दिया जायेगा।
❖ खदान में कुल 24 लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 09 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 07 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 14 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–बालोद द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 01.10 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,भिलाई

14/09/23
अपर कलेक्टर
जिला–बालोद